महत्वपूर्ण / समयबद्ध
संख्या–2695 / 65–2–2016–21(बजट) / 2015

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विकलांगजन विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विकलांग जन विकास अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 21 दिसम्बर 2016

विषयः ''उ0प्र0 में निःशक्तजन को कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली–2016'' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ''उ0प्र0 में निःशक्तजन को कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली–2016'' को शासन द्वारा प्रख्यापित कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत् नियमावली के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने हेतु समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या–2695(1) / 65–2–2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, विकलांगजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक / जिला विकलांगजन विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3 / वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 ।
5. विकलांगजन विकास अनुभाग–1 / 3 ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
विकलांगजन विकास अनुभाग-2
संख्या-1275/65-2-2016-21(बजट)/2015
लखनऊ : दिनांक : 21 दिसम्बर 2016

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 162 के अधीन प्रदत्त कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत किए जाने के लिए पूर्व प्रचलित नियमावली को अतिक्रमित करते हुए निम्नवत् नियमावली बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- **नाम** उत्तर प्रदेश में निःशक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु **वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016**

2- **प्रारम्भ** यह नियमावली तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

3- **परिभाषा** जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:-

(i) नियमावली का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में "**निःशक्तजन को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण खरीदने हेतु वित्तीय अनुदान स्वीकृत करने की नियमावली, 2016**"से है।

(ii) निःशक्तजन का तात्पर्य निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1995 की धारा 2-भ में दी गयी परिभाषा के अनुसार उस व्यक्ति से है जिसमें न्यूनतम 40 प्रतिशत की निःशक्तता किसी सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित की गयी हो।

(iii) मानसिक मंदता का तात्पर्य नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ परसन्स विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पॉलिसी, मेन्टल रिटार्डडेशन एण्ड मल्टिपिल डिसऐबिलिटी एक्ट 1999 में दी गयी परिभाषा से होगा।

(iv) मानसिक रूग्णता का तात्पर्य मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार से है।